International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 2; Issue 5; September 2017; Page No. 804-810

भारतीय परिप्रेक्ष्य में जनजाति

डॉ. चौधुरी शिवव्रत महान्ति
निदेषक, कृष्णराव शोध संस्थान, मानसेवी व्याख्याता, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति व पुरातत्व विभाग, रानी दुर्गावती विश्व विद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

विकास की केन्द्रीकृत धारा उसके बदलावों, व्यक्तिवादी, चिंतन, आचरण, धनाधारित सोच, आर्थिक उपभोक्तावाद, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तनों के गत्यात्मकता के बेगवती प्रवाह से अपने को अक्षुण्ण रखते हुए परिवर्तनगामी समाज से अलग–थलग जंगलों, पहाड़ों, कंदराओं, पठारों, मरूस्थलों में रहने वाले विकास की प्रचलित धारणा के अनुसार, विकास की प्रारंभिक अवस्था में रहने वाले या पिछड़े हुए लोगों, मानव समूहों को, विभिन्न समाजशास्त्रियों, सामाजिक नृवैज्ञानिकों द्वारा नेटिव, एबओरिजीनल, ट्राइब, प्रिमिटिव ट्राइब इत्यादि शब्दों से सम्बोधित किया गया। हिन्दी में इसका अनुवाद आदिवासी, आदिमवासी, जनजाति इत्यादि किया गया है।

भारत अपार नृजातीय विविधताओं वाला देश है। ये विविधताएं पृथकताएं नहीं हैं। साझेदारी और निजता के विविध रूपों को इनमें प्रकट होते देखा जा सकता है। इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि भारत में 4635 मानव समुदायों की पहचान की गई है, जिनके नाक नक्श, भाषा, वेशभूषा, उपासना की पद्धति, पेशे, खानपान, आदतें और नाते रिश्ते के रूप अलग–अलग हैं। इन विभिन्नताओं के कारण भारतीय समाज के आपसी तनाव और बाहरी दबाव और हितों के टकराव भी सदा से चलते रहे हैं। (के. एस. सिंह, 1990)

भारत मानव जातियों का एक ऐसा विशाल संग्रहालय है जिसमें हम संस्कृति के निम्न चरण से उच्चतम चरणों तक पहुँचे हुए मनुष्यों का अध्ययन कर सकते हैं। इसके नमूने जीवाश्म या शुष्क अस्थियाँ नहीं हैं, बल्कि जीते–जागते मानव समुदाय हैं। (इम्पेरियल गजेटियर ऑफ इंडिया)

दूसरों को अपने अधीन लाने की चाह एक विशिष्ट मानवीय विकृति है। स्वाधीनता की संस्कृति और पराधीनता की विकृति, जिसमें दूसरों को पराधीन बनाने अथवा पराधीन होने, दोनों तरह की विकृतियाँ शामिल हैं। इनका निरन्तर द्वन्द ही इतिहास है। शक्ति के विभिन्न साधनों, संसाधनों की विभिन्न निर्मितियाँ यह खुलासा करती हैं, हमला और हत्या दो ऐसी कार्यवाहियाँ थीं जिससे यह साबित होता है कि कौन विजेता है और कौन विजित ?

जनजाति की परिभाषा

जनजाति को परिभाषित करना विद्वजनों के लिए जितनी वैचारिक समस्या है उतनी ही अनुभूतिजन्य भी। जनजाति का सर्वस्वीकृत एवं सुस्पष्ट परिभाषा जो पूरी दुनिया के जनजातियों की विशिष्टताओं को समाहित करने वाली हो नहीं दी गई है। अकादमिक संदर्भ में मानववेताओं का एक वर्ग सांस्कृतिक आधारों पर जनजाति शब्द को परिभाषित करता है। इस दृष्टिकोण के समर्थक जनजाति के लिए सर्वमान्य परिभाषा पर बल नहीं देते हैं। मानवशास्त्रियों का दूसरा वर्ग मानता है कि जनजाति की मानवशास्त्रीय परिभाषा सांस्कृतिक विशेषताओं पर आधारित नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वमान्य परिभाषा के लिए आवश्यक है कि, जनजाति को एक अवधारणा के रूप में स्वीकृत किया जाये। एक अवधारणात्मक परिभाषा सामान्यीकृत विशेषता से युक्त होती है। यह तभी संभव है, जब जनजाति की परिभाषा संरचनात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत की जाये (श्रीवास्तव, ए. आर. एन., 2000)।

विभिन्न विद्वानों ने अपने अध्ययन की विषय–वस्तु समाज विशेष की विशिष्टताओं को दृष्टिगत रखते हुए, जनजाति को सामान्यीकृत परिभाषा प्रदान करने का प्रयास किया है। इन विशेषताओं में सीमित क्षेत्र, भाषा, संस्कृति, राजनीतिक एवं आर्थिक स्वायतता, विशेष प्रकार की विष्वास पद्धति, पृथकता जैसे तत्व सम्मिलित हैं, लेकिन सम्पूर्ण जनजाति के लिए सभी विशेषताएँ एक साथ प्रायोजित नहीं की जा सकती। (श्रीवास्तव, ए.आर.एन., 2000)

सैद्धान्तिक विमर्श हेतु विद्वानों द्वारा दी गयी कुछ परिभाषाएं यहाँ प्रस्तुत की जा रही हैं–

"जनजाति विकास के आदिम अथवा बर्बर आचरण में लोगों का एक समूह है जो एक मुखिया की सत्ता स्वीकारते हों तथा अपना एक समान पूर्वज मानते हों।" (ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी)

"एक ऐसा ग्रामीण समुदाय या ग्रामीण समुदायों का एक ऐसा समूह जिनकी समान भूमि हो और जिस समुदाय के व्यक्तियों का जीवन आर्थिक दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर हो, जनजाति कहलाता है।"– जैकब्स और स्टर्न (तिवारी शिवकुमार, 1990)

सरलतम रूप में जनजाति ऐसे टोलियों का एक समूह है, जिसका एक सानिध्य वाले भूखण्ड अथवा भूखण्डों पर अधिकार हो और जो एकता की भावना, संस्कृति में गहन समानता, निरन्तर सम्पर्क और कतिपय समुदायिक हितों में समानता से उत्पन्न हुई हो। – रॉल्फ लिंटन (नदीम हसनैन, 2005)

यह एक साधारण प्रकार का सामाजिक समूह है, जिसके सदस्य एक समान बोली का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध जैसे सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं – डब्ल्यू. एच. आर. रिवर्स (डॉ. हरिश्चन्द्र उप्रेति, 2000)

"हम जनजाति को व्यक्तियों के एक ऐसे समूह के रूप में व्याख्या कर सकते हैं जो समान भाषा बोलता हो, समान भू–भाग पर निवास करता हो तथा जिसकी संस्कृति में समानता पाई जाती हो।"– रॉल्फ पिडिंगटन (शिवकुमार तिवारी, 1990)

जनजाति समान संस्कृति वाली जनसंख्या का एक स्वतंत्र राजनीतिक विभाजन है। – लूसी मेयर, 1973

आदर्ष रूप में जनजातीय समाज आकार में छोटे, अपने सामाजिक, विधिक तथा राजनीतिक संबन्धों की स्थानिक तथा कालिक परास (टेम्पोरल रेन्ज) में प्रतिबन्धित होते हैं, तथा नैतिक, धर्म तथा तदनुरूप आयामों की विश्व दृष्टि रखते हैं। अभिलाक्षणिकता की

दृष्टि से भी जनजातीय भाषायें अलिखित होती हैं, अस्तु संचार की सीमा, काल और दोनों ही आवश्यम्भावी रूप से संकीर्ण हैं। इसके बावजूद जनजातीय समाज आलेखों में मितव्ययिता प्रदर्षित करते हैं, तथा अपने आप में एक ऐसी अभिसंकुचन और आत्मनिर्भरता रखते हैं, जिसका आधुनिक समाज में अभाव है। – एल. एम. लेविस (1968)

"जनजाति परिवारों और पारिवारिक वर्गों का एक ऐसा समूह है जिसका अपना एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं, विवाह, व्यावसाय या उद्योग के विषय में कुछ निषेधों का पालन करते हैं तथा एक सुनियोजित आदान–प्रदान की व्यवस्था का विकास करते हैं।" (डी. एन. मजुमदार, 1950)

उपरोक्त परिचर्चा से स्पष्ट है कि जनजाति को निष्कर्षात्मक रूप में परिभाषित करना अत्यन्त कठिन है। सामान्य विशिष्टताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि, "जनजाति एक स्तरहीन सामाजिक व्यवस्था पर आधारित सामाजिक समूह है, जिसकी अर्थव्यवस्था, आखेटक, खाद्य संग्रहक या कृषि से आगे नहीं बढ़ रही है, अलिखित एवं पीढ़ीगत परम्परा पर आधारित उनकी संस्थाएं एवं नियम परस्पर सम्बद्ध होती हैं। जनजातियों के सांस्कृतिक तत्वों में एकरूपता पायी जाती है जिस कारण ये अन्य समूहों से अलग अपनी विशिष्टता बनाये रखती हैं।"

जनजातियों की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

1. प्रत्येक जनजाति का निवास एक निष्चित भूभाग है, तथा इनमें सामुदायिक भावना अधिक पाई जाती है।
2. प्रत्येक जनजाति की अपनी एक अलग भाषा, बोली होती है, जिसके द्वारा ये अपने विचारों को व्यक्त करते हैं।
3. प्रत्येक जनजाति का एक नाम होता है, जिसके द्वारा दूसरी जनजाति से अलग होती है।
4. प्रत्येक जनजाति का एक सामाजिक संगठन होता है, जिसमें कुछ प्रथाएँ, परम्परायें, धर्म, रूढ़ियाँ होती हैं।
5. इनका एक राजनैतिक संगठन भी होता है, जो एक शासन की तरह कार्य करता है। इनका रूप छोटा व सरल होता है। वंषानुगत मुखिया होता है, और बड़े बुजुर्गों की समिति होती है, जो सहायक कार्य करती है।

अनुसूचित जनजाति

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में भारतीय समाज के विविध वर्गों में वर्गीकरण आधुनिक काल में किया गया। मध्यकाल में इन सभी की एक ही पहचान थी और वह थी, हिन्दू समाज। इस काल में उच्च और निम्न जाति, सभी जातियों की गणना 'हिन्दू' के रूप में की जाती थी और जब भारत पर इस्लामी आक्रमण हुआ तो तथाकथित निम्न वर्ग की जातियों ने उच्च वर्ग के राजाओं एवं जमींदारों की अपेक्षा अधिक प्रबलता एवं प्रतिबद्धता के साथ उसका प्रतिरोध किया। मध्यकाल में ये जातियाँ/जनजातियाँ पूरे देश में फैली हुई थीं। (लाल, के. एस., 1995)

भारतीय समाज के कुछ विशेष समूहों को जनजातीय रूप में वर्गीकृत करने की परम्परा 1881 में अंग्रेज शासकों द्वारा प्रारंभ की गयी। इस वर्गीकरण का आधार मानवशास्त्रीय न होकर एक अस्पष्ट से आधार पर, इस वर्ग में केवल उन लोगों को सम्मिलित किया गया जो हिन्दू वर्ण व्यवस्था के बाहर थे एवं सदियों से शेष समाज से अलग–थलग से थे। फिर भी कतिपय मानवशास्त्रियों ने भारतीय परिवेश में जनजाति की परिभाषित करते समय मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण को अपनाया है।

एफ. जी. बैली (1961) ने भारतीय जनजातियों का चित्रण खण्डीय व्यवस्था के अनुसार किया है। खण्डीय व्यवस्था न केवल क्षेत्रीय विस्तार में छोटी होती है बल्कि संरचना की दृष्टि से भी एक विशेष प्रकार का प्रतिनिधित्व करती है जो अपेक्षाकृत जटिल सामाजिक व्यवस्था से भिन्न होती है। प्रो. ए. आर. देसाई (1977) ने कुछ सामान्य तथ्यों का उल्लेख किया है जो एक समय में सभी जनजातियों में पाये जाते थे –

1. वे सभ्य समाज से दूर पर्वतों व जंगलों में अत्यन्त दुर्गम स्थानों में निवास करते हैं।
2. वे निग्रिटो, आस्ट्रेलॉयड अथवा मंगोलाइड में से किसी एक नृजाति समूह से संबंध रखते हैं।
3. वे सामान्य जनजातीय बोली का प्रयोग करते हैं।
4. वे आदिम धर्म को मानते हैं जो कि सर्वजीववाद के सिद्धान्तों की पूजा का प्रतिपादन करता है, जिसमें भूत – प्रेत व आत्माओं की पूजा का विशेष स्थान है।
5. वे जनजातीय व्यवस्थाओं को अपनाते हैं, जैसे – प्राकृतिक उपयोगी वस्तुओं का संग्रह, शिकार, वन में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं का संग्रह करना।
6. वे अधिकांशतया मांसभक्षी हैं।
7. वे प्रायः नग्न अथवा अर्धनग्न अवस्था में रहते हैं और कपड़े के स्थान पर पेड़ की छाल तथा पत्तों का प्रयोग करते हैं।
8. उनकी आदतें खानाबदोशी होती है तथा वे मद्यपान तथा नृत्य में विशेष रूचि रखते हैं।

प्रो. देसाई के अनुसार, अब भारत में कुल जनजातीय जनसंख्या के 1/5 भाग में ही ये लक्षण पाये जाते हैं। भारत में जनजातीय जनसंख्या विकास के विभिन्न चरणों में पायी जाती है। यदि इन समस्त लक्ष्यों को आधार माना जाय तो अंडमान, निकोबार और बस्तर की कुछ जनजातियाँ (लगभग 1 प्रतिशत) हीं इस श्रेणी में आती हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342(i) में घोषित किया गया है कि, "राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भागों या आन्तरिक समूहों की घोषणा करेंगे। इस सूचना में जो भी जातियाँ, जनजातियाँ, समुदाय या जनजातियों के भीतरी समूह परिगणित किये जायेंगे वे सब अनुसूचित जनजाति कहलायेंगे।"

भारतीय संविधान भारतीय संसद को यह आधार देता है कि, "संसद विधि द्वारा किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय के भाग को अनुच्छेद 342(i) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी।"

भारतीय संविधान में स्पष्ट किया गया है कि, समय–समय पर विभिन्न जातियों/जनजातियों के समूहों को अनुसूचित श्रेणी में लाया जा सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात् विभिन्न जातियों उसके वर्ग, उपवर्ग को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाता रहा है। जाति व जनजाति के संदर्भ में स्पष्ट मापदण्डों के अभाव एवं प्रत्येक राज्य द्वारा जनजातियों के लिए विभिन्न कसौटियों के निर्धारण के कारण एक राज्य में एक जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखी गयी है तो वही जाति दूसरे राज्य में अनुसूचित जाति के वर्ग में सम्मिलित है। उदाहरणार्थ – खरवार जनजाति को 2003 से पूर्व उत्तरप्रदेश में अनुसूचित जाति की श्रेणी में गणना की जाती रही है, जबकि उत्तरप्रदेश के बाहर मध्यप्रदेश, बिहार, उड़ीसा आदि राज्यों में ये अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में वर्गीकृत थीं। विभिन्न

राज्यों में अनुसूचित जनजाति के निर्धारण में अलग–अलग कसौटियों को आधार माना गया। असम तथा पूर्वोत्तर में मंगोलॉयड प्रजाति समूह, तिब्बती – वर्मा भाषा समूह तथा ग्रामीण गोत्र एवं विशेषीकृत सामाजिक संगठन को महत्व दिया गया। पूर्ववर्ती बम्बई सरकार ने वनीय स्थानों में निवास को आधारभूत कसौटी माना, जबकि तत्कालीन मध्यप्रदेश सरकार के लिए जनजातीय मूल, जनजातीय भाषा का बोलना तथा वनों में निवास महत्वपूर्ण कसौटियाँ थीं। इसी प्रकार मद्रास, उड़ीसा, मैसूर तथा ट्रावनकोर आदि सरकारों ने विविध भाषागत, भौगोलिक, आर्थिक तथा सामाजिक कारकों को संकेतक के रूप में मानने का सुझाव अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग को दिया। बाद के वर्षों में राज्यों की भौगोलिक सीमा में परिवर्तन आया एवं विविध सामाजिक एवं राजनीतिक कारणों से भी विभिन्न जातियों को अनुसूचित जनजाति में वर्गीकृत किया गया।

जनजातियों का भौगोलिक वितरण

भारत में जनजातियों के अधिवास उनके भौगोलिक वितरण को दृष्टिपात रखते हुए बी. एस. गुहा ने (1951) ने सम्पूर्ण भारत को 3 जनजातीय क्षेत्रों में विभक्त किया है –

1. उत्तर पूर्वी तथा उत्तरी मण्डल 2. केन्द्रीय अथवा मध्य मण्डल 3. दक्षिणी मण्डल। श्यामाचरण दुबे (1977) ने 4 क्षेत्रों में विभक्त किया है। बी. के. रायवर्मन (1971) ने विभिन्न भारतीय क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समूहों के ऐतिहासिक एवं समाज–सांस्कृतिक संबन्धों को ध्यान में रखते हुए 5 विभागों में वर्गीकृत किया है।

जनजाति या जनजातियों की जनसंख्या, उनका प्रजातीय, सांस्कृतिक एवं अन्य विशिष्टताओं को दृष्टिगत रखते हुए भौगोलिक दृष्टि से भारतीय अनुसूचित जनजातियों को चार भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। (श्रीवास्तव, ए. आर. एन., 2000).

हिमालयी क्षेत्र

समस्त पूर्वोत्तर – असम, नागालैण्ड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर एवं अरूणाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल एवं उत्तरप्रदेश तथा बिहार के तराई क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं – गारो, खासी, लखेर, नागा, कूकी, अवोर, अका, मिकिर, डफ्ला, गेलोंग मिश्मी, कचारी, सिंगफो, शेरदुवकन, रामा, रोगपन, सेमा, चकमा, रियाना, अंगेनिम, थारू, भोटिया, गुर्ज्जर, भोट, थाडोक, तान्गखुल, माओ, मिजो, डाफला, आपातानी, लेप्चा इत्यादि हैं। सम्पूर्ण भारत की लगभग 14.31 प्रतिशत (भारत की जनगणना 2001) जनजातियाँ इस क्षेत्र में निवास करती हैं।

मध्य क्षेत्र

क्षेत्र एवं जनसंख्या दोनों दृष्टियों से मध्य क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा जनजातीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश आदि राज्य आते हैं। इस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियाँ हैं – संथाल, मुण्डा, गोंड, सवर, हो, उरांव, भुइयां, जुआग, कमार, बैगा, कोरकू, हलवा, खरवार, भूमिज, बिरहोर, खारिया, कोरवा, कोल, अगरिया इत्यादि। इस क्षेत्र में देश की सर्वाधिक 47.56 प्रतिशत जनजातियाँ निवास करती हैं।

पश्चिमी क्षेत्र

इस क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केन्द्रशासित प्रदेश–दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव सम्मिलित भील, मीणा, घोटिया, गरासिया, बनजारे, डब्ला, घाटिया, गामित, कोली, महादेव, कोकमा इत्यादि इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियाँ हैं। इस क्षेत्र में देश की कुल जनसंख्या का 27.6 प्रतिशत जनजातियाँ निवास करती हैं।

दक्षिणी क्षेत्र

इस क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित राज्य हैं – आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा केन्द्रशासित प्रदेश – लक्ष्यद्वीप आदि। इस क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं – कोया, योरूकुलू, अनादि, कोण्डा, भील, इरूला, भालो, करावान, टोडा, नकाडा, भारती, यरावा, चेन्चू, पेलियार, पनीयान, कादर अण्डमानी, निकोबारी, सेंटलीज, ओंगे, जारवा, मीनी काय, लक्षद्वीप वासी इत्यादि। इस क्षेत्र में देश की जनसंख्या की लगभग 11.13 प्रतिशत जनजातियाँ निवास करती हैं।

जनजातीय जनसंख्या का वितरण

सारणी क्र. 1: भारत में जनजातीय जनसंख्या का वितरण

A. उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जनजातियाँ						
क्रम	**राज्य**	**कुल जनसंख्या**	**जनजातीय जनसख्या**	**जनजातीय जनसख्या प्रतिशत में**	**प्रमुख जनजाती याँ**	**कुल अनुसूचित जनजातीय समूह**
1	अरूणाचल प्रदेश	10,97,968	7,05,158	64.22	डफला, खम्पट्टी, सिंगपो, अवोर, अपातनी, गेलोंग, खोवा, मोम्बा, शेर डुक्पेन, अका, मिश्नी, फेड इत्यादि	12
2	असम	2,66,55,528	33,08,570	12.41	चकमा, दिमासा, कचारी, गारो, हमार, खासी,, जैन्तिया, सितेंग, भोई, लिंगम एवं कूकी समूह	14 कूकी उपजातियों सहित 60
3	मणिपुर	22,93,896	7,41,141	32.3	ऐमोल, अनल, अंगामी, चीरू तथा नगा एवं कूकी समूह	29
4	मेघालय	23,18,822	19,92,862	85.94	गारो, खासी, चकमा, हाजोंग, हमार, लखेर, मान तथा कूकी समूह एवं मिजो समूह की जनजातियाँ	17 कूकी, उपजातियों सहित 47
5	मिजोरम	8,88,573	8,39,310	94.46	लुसई, गारो, खासी, मिकिर, जयंतीया, और कूकी समूह	38
6	नागालैण्ड	19,90,036	17,74,026	89.15	नगा, समूह कूकी समूह, गारो, मिकिर, कचारी इत्यादि	60
7	त्रिपुरा	31,99,203	9,93,426	31.05	चकमा, गारो, खासी, कूकी, लुसाई, लियांग, संथाल, लेप्चा, भूटिया, तिपरा, दारलोंग इत्यादि	19 कूकी उपजातियों सहित 36
8	सिक्किम	5,40,851	1,11,405	20.60	लेप्चा, भूटिया, सिम्बू, तमांग इत्यादि	12
B. उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की जनजातियाँ						
9	हिमाचल प्रदेश	6,077,900	2,44,587	04.02	भोट, बोध गड्डी, सिप्पी, कनउरा, गुर्ज्जर	08
10	जम्मू कश्मीर	10,143,700	11,05,979	10.90	बाल्टी, वेडा, चांग्पा, गड्डी,, सिप्पी, बोम्पा, डोम्पा, शीन, गुर्जर	12

					इत्यादि	
11	उत्तरांचल	84,89,349	2,56,129	03.02	बोक्सा, भोटिया, जौनसारी, राजी, थारू, रावत, धांगर	07
C. मध्यम क्षेत्र की जनजातियाँ						
12	बिहार	8,29,98,509	7,58,351	0.91	संथाल, खरवार, बैगा, हो भूमिज, चेरो, बिरहोर, मुण्डा, गोंड, माल पहाड़िया, आदि	31
13	पश्चिम बंगाल	8,01,76,197	44,06,794	5.50	संथाल, सवर, बैगा, बंजारा, भूईयाँ, गोंड़, चेन्चू, कोली, राजोर, गारो, चकमा, लेप्चा आदि	41
14	उड़ीसा	3,68,04,660	81,45,081	22.13	हो, कोया, मुण्डा, दाल, संथाल, माड़िया, राजोर, कोल, गोंड़ इत्यादि	62
15	उत्तर प्रदेश	16,61,97,921	1,07,963	0.1	खरवार, कोल, घासिया, अगरिया, बोक्सा, थारू इत्यादि	14
16	झारखंड	2,69,45,829	70,87,068	26.30	बंजारा, बिरहोर, कोरवा, हो, मुण्डा, ओरांव, संथाल, खरवार इत्यादि	30
17	छत्तीसगढ़	2,08,33,803	66,16,596	31.76	गोंड, बैगा, कोल, खरिया, माझी, डामर, बिरहोर, भील इत्यादि	43
18	मध्यप्रदेश	6,03,48,023	1,22,33,474	20.27	गोंड, बैगा, बिरहोर, मुण्डा, भील, धामर, खरिया आदि	46
D. पश्चिमी क्षेत्र की जनजातियाँ						
19	राजस्थान	5,65,07,188	70,97,706	12.56	भील, डामरिया, गरासिया, पटेलिया, सहरिया, मीना, कोली, कोरवा आदि	12
20	महाराष्ट्र	9,68,78,627	85,77,276	8.85	भील, नायक, ओरांव, पारधी, रथवा, भूजिया, परधान आदि	47
21	गुजरात	5,06,71,017	74,81,160	14.76	भील, धोडिया गोंड, सिद्दी, भारवद आदि	37
22	दमन व द्वीप	1,58,204	13,997	8.85	धोडिया, नायकड़ा, वरली, नायका, डबला आदि	5
23	दादर एवं नागरहवेली	2,20,490	1,37,225	62.24	धोड़िया, नायकड़ा, वरली, डबला आदि	7
24	गोवा	13,47,668	566	0.04	वेलिप, गावली,, गोंड़ी, गवाला आदि	5
E. दक्षिणी क्षेत्र की जनजातियाँ						
25	कर्नाटक	5,28,50,562	34,63,986	6.55	भील, चेंचू, गोंड, खरिया, माझी, मराठा, कोली, कोया, मायका, टोडा इत्यादि	50
26	आन्ध्रप्रदेश	7,62,10,007	50,24,104	6.59	अंध, भील, चेन्चू, कोंड, पहाड़ी रेड्डी, सुगलीस इत्यादि	35
27	तमिलनाडू	62,405,679	6,51,321	1.04	कोंडा, कपस, कोटा, केदार, कमार, मलाई, अर्यन, पेलियार, टोडा इत्यादि	38
28	केरल	3,18,41,347	3,64,189	1.14	अड्डियम, कमार, कोंड, कप्पस, मल्लै, पलियार इत्यादि	37
29	लक्षद्वीप	60,650	57,321	94.51	लक्ष्द्वीप, लक्का दीव, मिनीकाय और अमनदीवी द्वीपों के से सभी निवासी जिनका जन्म इन द्वीपों पर हुआ है	06
30	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	3,56,152	29,469	8.27	टोंगी, जारवा, ग्रेड अंडमानी, सेंटीनली, निकोबारी	06
F. जनजाति विहीन प्रदेश						
31	पाण्डिचेरी	9,74,345	–	–	–	–
32	पंजाब	2,43,58,999	–	–	–	–
33	हरियाणा	2,11,44,564	–	–	–	–
34	दिल्ली	1,38,50,507	–	–	–	–
35	चण्डीगढ़	9,00,635	–	–	–	–
कुल जनसंख्या		1,02,86,10,328	8,43,26,240	8.2	–	–

स्त्रोत – भारत की जनगणना – 2001, भारत संविधान – अनुलग्न (Ib) अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों की सूची

जनजातीय जनसंख्या एवं शेष भारतीय समाज

भारत में जनजातियों की जनसंख्या को निम्न सारणी में दर्शाय गया है –

सारणी क्र. 2 भारत की जनजातीय जनसंख्या (मिलियन में)

क्र.	जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या	जनजातीय जनसंख्या	प्रतिशत
1	1951	361.1	19.1	5.29
2	1961	439.2	30.1	6.85
3	1971	548.2	38.0	6.93
4	1981	688.2	51.6	7.53
5	1991	846.3	67.8	8.10
6	2001	1028.6	84.3	8.19

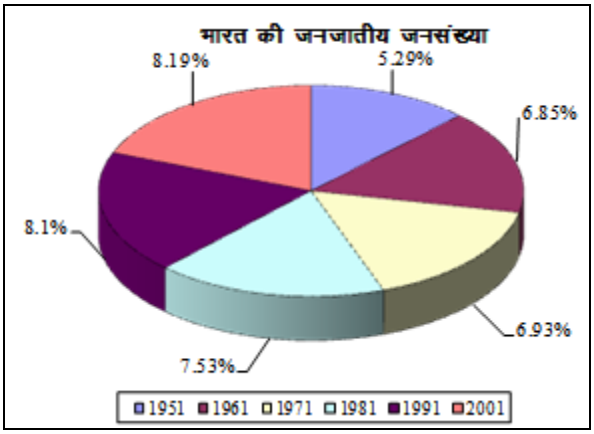

आरेख क्र. 1

सारणी क्रमांक 4.2 को देखने से स्पष्ट होता है कि जनगणना वर्ष 1951 में भारत की कुल जनसंख्या 361.1 मिलियन थी, जिसमें जनजातीय जनसंख्या 19.1 मिलियन थी जो कुल जनसंख्या का 5. 29 प्रतिशत थी। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1028.6 मिलियन है, जिसमें 84.3 मिलियन जनसंख्या जनजातीय है। वर्ष 2001 में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत 8.19 है।

नोट – 2001 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में सिर्फ थारू, भोक्सा, भोटिया, जौनसारी, धांगर जाति को ही अनुसूचित जनजाति के रूप में गणना की गई थी। 2003 में सचिव उत्तरप्रदेश शासन, समाज कल्याण, अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 111/भा.स./26.03. 2003(7)/2003 दिनांक 03.07.2003 द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 के द्वारा गोंड, धूरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, खरवार, खैरवार, शहरिया, पहरिया, बैगा, पनखा, पनिका, अगरिया, पठारी, चेरो, भूइयां तथा भूमिया आदि जनजातियों को भी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। अतः यदि 2001 की अनुसूचित जनजातियों की दर्शायी गई संख्या में उपरोक्त नव अधिसूचित जनजातियों की संख्या को जोड़ा जाय तो उत्तरप्रदेश में निवास करने वाली कुल जनजातियों की जनसंख्या 107963+982560 = 1,090,523 हो जायेगी। (जनगणना वर्ष 2001) वर्ष 2004 में समाज कल्याण विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तरप्रदेश में जनजातियों की कुल जनसंख्या 12,27,565 है।

अनुसूचित जनजाति का वितरण

जिन जिलों, नगरों एवं ग्रामों में अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं, उन्हें निम्न सारणी में प्रदर्षित किया जा रहा है –

सारणी क्र. 3: अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या

क्र.	अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	जिलों की संख्या	नगरों की संख्या	ग्रामों की संख्या
1	75 प्रतिशत या उससे अधिक	40	42	78,507
2	50 प्रतिशत से 74.9 प्रतिशत के मध्य	35	15	26,788
3	20 प्रतिशत से 49.9 प्रतिशत के मध्य	65	160	44,240
4	10 प्रतिशत से 9.9 प्रतिशत के मध्य	62	264	28,662
5	5 प्रतिशत से 9.9 के मध्य	56	387	23,742
5	5 प्रतिशत से नीचे	278	2,420	68,189
6	नहीं पाए जाते	50	1090	3,23,487
7	योग	593	4,378	5,93,615

आर्थिक संरचना के आधार पर जनजातीय वर्गीकरण

मई 1957 में कोरापुत में आयोजित चतुर्थ जनजातीय कल्याण सम्मेलन में टी. सी. दास ने अपने प्रस्तुत लेख में जनजातियों को मोटे तौर पर निम्न पांच भागों में विभाजित किया है (उप्रेती, हरशचन्द्र, 2000) –

1. खानाबदोश, भोजन संग्रहित और चरागाही
2. पहाड़ी ढालों में स्थानांतरित कृषि करने वाली कृषक जनजातियाँ
3. पठार तथा पहाड़ के तलहटी में हल से खेती करने वाले स्थाई कृषक
4. ऐसी जनजातियां जो आंषिक रूप से हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में सम्मिलित हो चुकी हैं।
5. ऐसी जनजातियाँ जो पूर्णतः हिन्दु समाज के साथ आत्मसात्कृत हो चुकी हैं और उन्हीं के समान उद्योग धन्धों में लगी हुई हैं।

सांस्कृतिक आधार पर जनजातीय वर्गीकरण

डी. एस. मजूमदार (1944) ने जनजातीय संस्कृति को दो श्रेणियों में रखा है –

आत्मसात्कृत जनजातियाँ

जिसकी संस्कृति किसी अन्य संस्कृति में पूर्णतः समा गई है।

अनुकूलित जनजातियाँ

वे जनजातियाँ जो बहुल संस्कृति से तारतम्य बरा कर चल रही हैं अर्थात् उनके अनुसार अनुकूलित रही हैं।

मजूमदार एवं मदन (1967) ने भारत की जनजातियों को सांस्कृतिक आधार पर निम्नांकित तीन वर्गों में विभक्त किया है।

1. वे जनजातियाँ जो कि ग्रामीण, नगरीय समूहों से सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत दूर हैं और अन्य समूहों के संपर्क में नहीं आई हैं।
2. वे जनजातियाँ जो ग्रामीण तथा नगरीय समूहों की संस्कृति से प्रभावित हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके जीवन में असुविधाएँ एवं समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं।
3. तृतीय श्रेण में वे जनजातियाँ आती हैं जो ग्रामीण तथा नगरीय समूहों की संस्कृति के संपर्क में आकर सामंजस्य स्थापित कर सकी हैं, तथा जिन्हें किसी प्रकार की समस्या अथवा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

जैसे–जैसे जनजातियों का औद्योगीकरण तथा नगरीयकरण बढ़ रहा है वैसे–वैसे जनजतियों का समाज से संपर्क बढ़ रहा है, उनके सांस्कृतिक व जीवन में व्यापक परिवर्तन हुए हैं तथा अनेक जनजातियाँ सांस्कृतिक परिवर्तन व संक्रमण के पश्चात् विकास की प्रक्रिया में वृहतर समाज से जुड़ गई हैं।

जनजातियों का प्रजातीय वर्गीकरण

प्रजाति एक जैविक अवधारणा है। यह मानकों के उस समूह को प्रकट करती है, जिनमें शारीरिक और मानसिक लक्षण समान होते हैं, तथा ये लक्षण उन्हें पैतृक के आधार पर प्राप्त होते हैं। भारत में संसार की सभी प्रमुख प्रजातियों की विशेषताओं वाले लोग पाए जाते हैं। रिजले के अनुसार, भारतीय प्रायद्वीप में सात प्रमुख प्रजातियाँ निवास करती हैं – द्रविड़ियन, इण्डो आर्यन, मंगोलॉयड, इण्डोद्रविड़ियन, मंगोल द्रविड़ियन, सीरियन एवं टर्की, ईरानियन। हट्टन (1951) ने भारतीय प्रजातियों को नीग्रिटो, प्रोटो आस्ट्रेलॉयड, मेडिटरेनियन, इण्डो आर्यन, अल्पाईन तथा मंगोलॉयड बताया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि आदिकाल से भारत विभिन्न प्रजातियों का निवास स्थल रहा है, तभी से सभी का अपना अलग–अलग अस्तित्व भी रहा है। शारीरिक दृष्टि से विभिन्न प्रजातियां परस्पर एक दूसरे का अस्तित्व मानते हैं। रंग–भेद, प्रजातीय संघर्ष यहां देखने को नहीं मिलता। मजूमदार के अनुसार भारत में प्रजातीय वर्गीकरण अत्यन्त कठिन है, क्योंकि भारत में किसी भी प्रजाति की शुद्ध विशेषताएं नहीं मिलती।

यूनेस्को रिपोर्ट (1952) के अनुसार, यूनेस्को द्वारा शारीरिक मानवशास्त्र तथा मानव अनुवंश विधा से संबन्धित मानव वैज्ञानिकों की बैठक में समुदाय एवं प्रजाति के सन्दर्भ में निम्नांकित निष्कर्ष निकाले गए हैं –

1. जितने भी मानव भूमण्डल में रह रहे हैं, वे सभी एक ही जाति के सदस्य हैं, जिसे मेधावी मानव (होमोसेपियन) कहा जाता है।
2. कुछ शारीरिक लक्षणों में अंतर वंशानुक्रमण से होता है और कुछ पर्यावरण से।
3. वंशानुक्रमण लक्षमों में परिवर्तन दो कारणों से होता है
   प्रथम – उत्परिवर्तन (म्यूटेशन)
   द्वितीय – अर्न्तवर्ण (क्रास मैरेजेज)
4. राष्ट्रीय, धार्मिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषायी समूह प्रजाति नहीं हैं।
5. वी नही मुख्य प्रजातियाँ हैं –
   प्रथम – काकेशायड
   द्वितीय – मंगोलॉयड
   तृतीय – नीग्रेस्ट
6. प्रजाति के वर्गीकरण में बुद्धि को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।
7. सांस्कृतिक विभिन्नताएं, प्रजातीय भिन्नता के कारण नहीं है।
8. तथाकथित विशुद्ध प्रजातीय आज कहीं–नहीं पाई जाती है। प्रजातीय मिश्रण अतीतकाल से होता आ रहा है।

जनजातीय संस्कृति देश की बहुमूल्य धरोहर है। भारतवर्ष की जनसंख्या में भी जनजातीय जनसंख्या का महत्वपूर्ण स्थान है। 2001 की जनगणना के अनुसार जैसा कि उपरोक्त सारणी में निर्दिष्ट है, जनजातियों की कुल जनसंख्या 8,43,26,240 है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 8.2 प्रतिशत है। देश में जनजातियों के समूहों तथा उपसमूहों में से 72 आदिम जनजातियाँ एवं 36 आखेटक एवं खाद्य संग्रहक हैं। समस्त पूर्वोत्तर के अलावा छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान एवं महाराष्ट्र जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से देश के समृद्धतम प्रदेश हैं।

भारत के संविधान की धारा 342 के अन्तर्गत राज्यों की सूची सहित कुल 533 आदिम जातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। इनमें से कई जनजातियाँ विभिन्न राज्यों में निवास करती हैं। अतः सूची में कई जगह ओवरलैपिंग हुई है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या की दृष्टि से मध्यप्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। प्रतिशत की दृष्टि से भारत के मिजोरम में सबसे अधिक 94.46 प्रतिशत जनजातियाँ निवास करती हैं। विविधता की दृष्टि से भारत के उड़ीसा प्रान्त में सबसे अधिक 62 प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं।

भारत की 60 जनजातियाँ देश की सम्पूर्ण जनजातीय जनसंख्या का 80 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं। 100 मध्यम आकार वाली जनसंख्या वाले जनजातीय समूह हैं। 130 छोटे जनजातियों समूह हैं एवं 60 अन्य जनजातीय समूह हैं, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से अत्यन्त छोटे अथवा नगण्य मात्र हैं। अतः कुल मिलाकर 350 प्रकार की जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों का दर्जा प्राप्त है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों में लिंगानुपात 977 महिला प्रति 1000 पुरूष हैं। साक्षरता दर 34.76 प्रतिशत है।

जनजातीय जनसंख्या एवं शेष भारतीय समाज

भारत अपार जनजातीय विविधताओं वाला देश है। ये विविधताएं पृथकताएं नहीं हैं। निजता और साझेदारी के विवधि रूपों को इनमें प्रकट होते देखा जा सकता है। भातर में जनजातियां समाज की मुख्य धारा से सदैव से बिगलिर रही हों ऐसी बात नहीं है। भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषायी एवं धार्मिक पुनर्रचना में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। भारत आदिकाल से ही विभिन्न प्रजातियों का निवास स्थान रहा है। सभी जनजातियों का अपना अलग–अलग अस्तित्व भी रहा है। शारीरिक दृष्टि से विभिन्न प्रजातियां परस्पर एक–दूसरे से अलग रही हैं, परंतु सभी लोग एक–दूसरे का अस्तित्व मानते रहे हैं और इनमें प्रजातीय संघर्ष देखने से नहीं मिलता।

भारत में प्रजातीय शुद्धता किसी भी जनजाति की नहीं है। सभी जनजातियों का रक्त मिश्रण ही नहीं, अपितु सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं जनरीति–परंपराओं एवं मान्यताओं के स्तर पर भी सभी जातियों के विश्वास को सबने स्वीकार किया है। जनजातियां हिन्दू देवताओं को पूजा करती हैं, तो शेष हिन्दू समाज भी प्रकृति पूजा, वृक्ष पूजा, नदी पूजा, लोकपाल, कुलदेवता हजारों की संख्या में जनजातीय विश्वास को न सिर्फ स्वीकर किया है और आदर किया है, अपितु उसे अपनी परंपरा का अविभाज्य अंग बना लिया है। यही नहीं भारत में सैंकड़ों की संख्या में जनजातियों का जातीकरण हुआ है, लेकिन यह प्रक्रिया एक तरफ नहीं है और कई जातियों का जनजातीकरण भी हुआ है। भारत में जनजातियां अपने क्षेत्र के शासक एवं राजा रही हैं एवं हजारों वर्षों से उनका अन्य जातियों के साथ सह–अस्तित्व का संबन्ध रहा है।

उद्‌भव एवं इतिहास

कुवर, सुरेश सिंह (1964) के शब्दों में ''भारतीय जनजातियां सभ्यता की अनुवर्ती होकर निष्क्रय नहीं बनी है, बल्कि उन्हों ने इतिहास की स्थिरता तथा गतिशीलता के प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त की हैं।'' उनकी भूमिका प्राचीन ग्रंथों में आये सौरसों, किन्नरों तथा किरातों जैसे सन्दर्भों तक ही सीमित नहीं है। यह उपमहाद्वीप में प्रजातियों तथा सांस्कृतियों के संयोजन की प्रकिृया, हिन्दू धर्म की विवृद्धि तथा उसकी दंत कथाओं तथा मिथकों, जादू तथा धर्म परंपराओं तथा प्रथाओं के रवाहीन (अक्रिस्टलीय) पुंज का अंग है। सजातीय व सांस्कृतिक दृष्टि से जनजातीय जनसमूहों का प्रादुर्भाव तथा उसका प्रबल समाज में अनृर्लयन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आज तक चल रही है।

वस्तुतः जब कोई मानव समूह उत्कर्ष की ओर बढ़ता है तो उसकी संस्कृति और धर्म दोनों का रूझान ज्यादा से ज्यादा मानव समूहों

को अपनों में शामिल करना होता है, लेकिन जब किसी कारण मानव समूह भयाक्रांत हो जाता है या उसमें सांस्कृतिक संकोच आने लगता है त बवह रक्षणशील हो जाता है और भिन्न लगने वाली सभी वस्तुओं और व्यक्तियों से भयभीत होने लगता है और अपनों के दायरे को परिस्थति के अनुसार यथा संभव संकुचित करने लगता है। मध्काल में इस्लामिक राज्य के पश्चात् भारत में ऐसी ही परिस्थतियां थी जब विभिन्न जातियों में संकुचन आता गया वे शेष समाज से अपने को दूर करते गए। जाति व्यवस्था में कठोरता, अपरिवर्तनता आ गई एवं जाति जो एक सहज गतिशील सर विन्यास है वह कठोर अनमतीय एवं क्रूर बन गई।

संदर्भ ग्रन्थ

1. भारत की जनगणना – 2011
2. भारत का संविधान, अनुलग्नक 1बी.
3. भौमिक, के. एल. (1971), "ट्राइबल इंडिया", वर्ल्ड प्रेस, हैदराबाद।
4. लाल, के. एस. (1995), "ग्रोथ ऑफ सिड्यूल ट्राइब एण्ड कास्ट इन मिडिवल इंडिया", आदित्य प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. लेविस, एल. एम. (1968), ''ट्राइबल सोसायटी'' इन डेविड एल. सिलस (स.) इंटरनेशनल एनसाइक्सोपेडिया ऑफ सोशल साइंसेज, खण्ड – 16 मैकलिन प्रेस, लंदन।
6. मजुमदार, डी. एन. (1937), "ए ट्राइब इन ट्रान्जिशन : ए स्टडी इन कल्चरल पैटर्न", लॉगमान्स, 1937
7. श्रीवास्तव, डॉ. लोकेश (2005), "ट्राइब्स ऑफ नर्मदा वैली", श्री पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
8. श्रीवास्तव, डॉ. लोकेश (2007), "ट्राइबल सिनॉरियो", यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
9. तिवारी, डॉ. शिव कुमार (1993), "भारत की जनजातियॉ", म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी
10. उप्रेती, हरिश्चन्द्र (2000) ''भारतीय जनजातियां, संरचना एवं विकास'' राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
11. वनस्वर शोध पत्रिका, अंक सितम्बर 1999, वन साहित्य अकादमी, जबलपुर।